

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

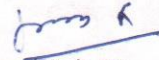
क्रमांक:- एफ.2 (ka) sas-I/ 1065

दिनांक:- 28/07/2020

शुद्धि-पत्र

श्री रतन प्रकाश दर्जी, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3985/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2016 के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एस.बी. मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 341/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश (संशोधन) दिनांक 26.09.2016 की पालना में पूर्व विभागीय सम संख्यक आदेश क्रमांक 1012 दिनांक 14.07.2020 के बिन्दु संख्या-2 को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

“श्री रतन प्रकाश दर्जी के संबंध में राज. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 53(1) के अन्तर्गत जारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश क्रमांक एफ.2(क)एसएस-1/582 दिनांक 21.09.2000 को भी एतद्वारा निरस्त करते हुए यह आदेश दिये जाते हैं कि श्री दर्जी को दिनांक 21.09.2000 से पुनः निरन्तर सेवा में मानते हुए इनकी अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.05.2015 को मानी जाएगी तथा इस अवधि की वास्तविक पेंशन राशि को कम करते हुए अन्य समस्त परिलाभ देय होंगे।”


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (ka) sas-I/ 1065

दिनांक:- 28/07/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)/शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्री रतन प्रकाश दर्जी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I, निवासी प्लॉट नं0 बी-144, जगदम्बा नगर, हीरापुरा, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. संयुक्त निदेशक (जांच)/उपविधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. निजी/रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)